तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/8797/2006/टोंक** **सरकार बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-09-2025	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री तेजेन्द्र सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय जिला कलक्टर टोंक ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 06–09–2006 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार भू0अ0 उनियारा मुकाम अलीगढ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि ग्राम आमली में भूमि धारक इन्द्रसाल सिंह पुत्र अडिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी आमली को 329 किता खसरा नम्बर रकबा 794 बीघा 17 बिस्वा न्यायालय परगना अधिकारी टोंक के आदेश क्रमांक दिनांक 16–01–70 द्वारा सीलिंग में अवाप्त की गयी थी जो जरिये नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 06–04–72 द्वारा राज्यहित में सिवायचक रिकार्ड में अंकित की गयी। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उपरोक्त सीलिंग में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 266/3 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जरिये नामांतरकरण नम्बर 22 दिनांक 06–02–73 से श्री कल्याण पुत्र लडडू गूजर की खातेदारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत स्वीकृत की है। जो अवैध होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 335 रकबा 0.38 है0 जमाबंदी 2060–63 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। उक्त भूमि जमाबंदी 2060–63 में कन्हैयालाल लडडू गूजर के नाम अंकित थी जो शुद्धिपत्र से कल्याण पुत्र लडडू गूजर के नाम दर्ज हुई है। कल्याण के फोत होने से उक्त भूमि नामांतरकरण संख्या 240 दिनांक 08–12–04 से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है। सीलिंग प्रावधानों के तहत अधिग्रहित भूमि का निस्तारण सीलिंग भूमि के नियमों के तहत ही होना चाहिए। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा सीलिंग भूमि को धारा 15 व 19 के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर नामांतरकरण संख्या 22 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सीलिंक सिवायचक में दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/8797/2006/टोंक** **सरकार बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कराने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। 3– न्यायालय जिला कलक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 06–09–2006 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर 266/3 रकबा 1 बीघा 7 बिस्व उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 16–01–1970 द्वारा सीलिंग में अवाप्त की जाकर जरिये नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 06–04–72 सिवायचक दर्ज कर दी गयी थी। अवाप्त की गयी उक्त खसरा नम्बर 266/3 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 335 रकबा 0.38 है0 है जो तत्कालीन तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत जरिये नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 06–02–73 अप्रार्थीगण के पिता कल्याण पुत्र लड्डू गुर्जर के पक्ष में खातेदारी स्वीकृत कर दी गयी। प्रश्नगत आराजी सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की गयी है ऐसी स्थिति में इसका निस्तारण सीलिंग अधिनियम/नियमों में किया जाना चाहिए। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर नामांतरकरण संख्या 22 निरस्त फरमाया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल नामांतरकरण संख्या 240 संलग्न है। इसके अलावा शुद्धि पत्र भी पत्रावली के साथ संलग्न है। नकल नामांतरकरण संख्या 13 संलग्न है। नकल नामांतरकरण संख्या 13/3 एवं नकल नामांतरकरण संख्या 22 संलग्न है। नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2060–63 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम आमली में स्थित खाता संख्या नया 10 में खसरा संख्या 335 रकबा 0.38 है0 भूमि कन्हैया पुत्र लड्डु कौम गूर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त भूमि का निस्तारण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत किया गया है जो अवैध प्रतीत होता है, जबकि सीलिंग अधिनियम में अवाप्त भूमि का निस्तारण भी सीलिंग नियमों में वर्णित प्रक्रियानुसार ही किया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/8797/2006/टोंक** **सरकार बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है। भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गयी है तथा इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार किसी भी राजस्व न्यायालयों को उपरोक्त भूमि के सम्बंध में डिक्री/निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। अतः तहसीलदार उनियारा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता कल्याण एवं उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के पक्ष में खोले गये नामांतरकरण अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 06–02–73 एवं नामांतरकरण संख्या 240 दिनांक 08–12–2004 निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः सिवायचक सीलिंग दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	